



दूरभाष: / Ph. : 0532-2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूंसी, इलाहाबाद - 221506
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhansi, Allahabad

संदर्भ सं० ८००९१९/११-५०/२०१६-२०१७

दिनांक १३/१०/२०१६

सेवा में,

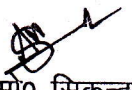
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
इलाहाबाद।

विषय: गाटा नं०-१९५ ग्राम अबूसा परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर जिला इलाहाबाद में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का०लि० द्वारा नये रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के संदर्भ में अपने कार्यालय के पत्रांक-७०/ए०जे०ए०-१/२०१६ दिनांक २६.०९.२०१६ का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का०लि० रेवाड़ी-कानपुर पाइपलाइन परियोजना कार्यालय तीसरी मंजिल १२३/७८८ जी-१ प्लॉट नं० ५२-टी/१५ फैक्ट्री एरिया, फजलगंज, कानपुर के पत्र सं० रिटेल/इंजीन्यरिंग/एसकेएस दिनांक १२.०९.२०१६ के साथ उपर्युक्त विषयक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का०लि० के प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट के स्थापना हेतु गाटा नं०-१९५ ग्राम-अबूसा परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर जिला इलाहाबाद में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है। उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आवेदन-पत्र की जांच के उपरान्त संदर्भित रिटेल आउटलेट की स्थापना में बोर्ड को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं है। बशर्ते परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम १९८९ के प्राविधानों का समुचित पालन किया जाय तथा सुरक्षा रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करें। स्थल पर किसी प्रकार का उत्पादन प्रक्रिया से सम्बन्धित कार्य वर्जित है। रिटेल आउटलेट से किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह एवं उत्सर्जन जनित नहीं किया जायेगा। पेट्रोल पम्प पर यदि जेनरेटर की स्थापना की जाती है तो एकास्टिक इनक्लोजर एवं मानकों के अनुरूप एग्जास्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

()
(डॉ० मी० सिकन्दर)
क्षेत्रीय अधिकारी